# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–26 / 17 (225 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः–2017 / 00149

उनवान

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लोहरेलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली।

...अपीलांट।

बनाम

1. ठाकुर महाराज श्री लक्ष्मण जी विराजमान चटीकना करौली तहसील व जिला करौली जरिये पुजारी अहतमाम संजीव शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा जाति दाधाजी निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली।

..रेस्पोडेन्ट।

2. पूरनसिंह पुत्र तेजसिंह जाति गुर्जर (धाबाई) निवासी धाबाईयों की छोटी हवेली भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली।
3. सुनीता बाई पुत्री पूरनसिंह पत्नि फतेहसिंह निवासी भीतरवाड़ी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली लैण्ड होल्डर।

...तरतीवी रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री नेमीचंद गर्ग अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री गजानन्द शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

–::निर्णय::–

दिनांकः 10.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ करौली जिला करौली में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2016 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 , बउनवान ठाकुर जी लक्ष्मण जरिये संजीव शर्मा बनाम राजेन्द्र प्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



Scanned with CamScanner

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 8285 रकबा 9 बिस्वा व 8286 रकबा 9 बिस्वा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसे प्रतिवादीगण ने कपटपूर्ण तरीके से अपने नाम दर्ज करा ली है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली ने दिनांक 19.04.17 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश हुई है।

3. अपील मीमों मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि विवादित आराजीयात कभी भी मूर्ति मन्दिर श्री लक्ष्मण जी महाराज के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि नहीं थी। मंदिर मूर्ति जागीरदार था तथा प्रकरण में लिप्त विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार अब्दुल हबीब उल्ला खॉं व गुलाब हबीब खॉं आदि थे जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व जागीर रिज्यूम होने की दिनांक को भी भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे। जागीर रिज्यूम होने पर अब्दुल हबीब वगैरह कानूनन विवादित भूमि के स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो चुके थे जैसाकि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की खुदकाश्त भूमि नही थी। आगे चलकर अब्दुल हबीब वगैरह ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.08.1966 द्वारा प्रभा कुमारी वगैरह को बेचान कर भूमि का कब्जा सुपूर्द कर दिया था जिसके तहत नामान्तकरण सं0 156 दिनांक 24.08.1966 को प्रभा कुमारी वगैरह केपक्ष में स्वीकृत किया गया था आगे चलकर प्रभा कुमारी ने उक्त भूमि को अपीलांट व स्व0 नर्बदा देवी पत्नि पुरनसिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान की एवं भूमि का कब्जा अपीलांट व स्व0 नर्बदा देवी को सुपूर्द कर दिया था जिसके तहत नामान्तकरण सं0 785 दिनांक 08.03.1986 को अपीलांट व स्व0 नर्बदा देवी तथा उसके स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पो0 सं0 02 व 03 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिसको आगे चलकर अपीलांट व स्व0 नर्बदा देवी ने मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली से निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2007 द्वारा बंटवारे की डिक्री प्राप्त की। जिसके तहत आराजी खसरा नम्बर 8285 अपीलांट के तथा 8286 स्व0 नर्बदा देवी के हिस्से में रखी गयी। यह तथ्य अपीलांट द्वारा मातहत अदालत के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए लेकिन बावजूद इसके मातहत अदालत ने रेस्पो0 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 19.04.17 को अपास्त किया जावे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किए गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी का वर्ष 1986 से खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा एक खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। तहसीलदार द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् दो रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे पेश किया गया, जिसमे न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रेफरेन्स एल.आर./2967/2014 करौली बउनवान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बनाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लोहरेलाल निग्रय दिनांक 24.08.18 मे विवादित आराजीयात खसरा नंबर 8285 रकबा 0.05 बीघा के बारे मे रेफरेन्स खारिज कर दिया। इस प्रकार समान प्रकृति का उच्च आराजी खसरा नंबर अभी न्यायालय राजस्व मण्डल मे लंबित है, परन्तु वह भी ऐसी ही प्रकृति का है। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विवादित आराजीयात अपीलांट की मानी है। अतः अपीलांट के विरूद्व अदालत मातहत द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावें।
6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि विवादित आराजीयात माफी मन्दिर श्री ठाकुर लक्ष्मणजी महाराज अहतमाम पुजारी लक्ष्मणदास चेला चतुरदास कौम बाबाजी के नाम सेटलमेंट से पहले एवं सेटलमेंट के समय राजस्व रिकार्ड में रही है जिसके परिणाम स्वरूप में प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान सरकार की खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2015 व 2019 से 2022 में दर्ज है। रेफरेन्स के माध्यम से खातेदारी अधिकारो का निर्धारण नहीं किया जाकर मूलवाद के माध्यम से होते है। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय मे रिट पेश की जा चुकी है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश जो अदालत मातहत द्वारा जारी किए गए है, विधि अनुकूल है, मे परिवर्तन न कर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
7. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।
8. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 के कॉलम नंबर 03 के अनुसार खसरा नंबर 8285 रकबा 09 बिस्वा, 8286 रकबा 09 बिस्वा माफी मंदिर श्री ठाकुर जी लक्ष्मण जी बअहतामाम पुजारी , लक्ष्मण दास चेला चतरू दास, कौम बाबाजी, सा0 देह दर्ज है तथा कॉलम नंबर 5, नाम कृषक में, मु0 अब्दुल हबीबल्ला खां, गुलाम हबीब खां, मोहम्मद खां पिसरान जमादार मोहम्मद बक्ष, कौम मुसलमान,(पठान) सा0 देह, दर्ज है। उक्त मंदिर माफी की भूमि को, कृषक ने अपने नाम दर्ज करवा लिया, तथा जरिये नामन्तकरण संख्या 156 दिनांक 28.07.65 द्वारा, दिनांक 30.09.64 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्रीमति प्रभा कंवर शुक्ला, बेवा



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मोहनलाल, नरसदाई, भंवर विलास करौली को बेचान कर दिया। इसके पश्चात् खातेदार प्रभा कुमारी ने इस आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तादादी रूपये 37000/– दिनांक 28.04.1984 से राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लोहरे, ब्राहण, तथा नर्बदा देवी, पत्नि पूरणसिंह गुर्जर, धाबाई को, बेचान कर दिया। इस प्रकार, उक्त आराजी राजेन्द्र प्रसाद, तथा नर्बदा देवी की, खातेदारी मे बहिस्सा बराबर दर्ज हो गयी।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर विवादित आराजीयात खसरा नंबर 8285 के बाबत रेफरेन्स/एल.आर./2967/2014/करौली बउनवान सरकार बनाम राजेन्द्र प्रसाद मे निम्नानुसार आदेश पारित किया किः– "उक्त राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि श्री ठाकुर लक्ष्मणजी महाराज के माफी की भूमि थी तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने पर इसके प्रावधानों के अनुसार जागीरदारों /माफीदारों की जागीर/माफी अधिग्रहित हो गई एवं काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये। विवादित भूमि श्री ठाकुर लक्ष्मणजी महाराज के खुदकाश्त की होना साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जागीर अधिग्रहित होने पर काबिज काश्तकार को खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। काबिज खातेदार काश्तकार अब्दुल हबीब खां वगैरह द्वारा बेचान किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 156 से श्रीमती प्रभा कुंवर शुक्ला के नाम दर्ज की गई तथा प्रभा कुंवर द्वारा बेचान किये जाने से विवादित भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में अप्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद के खातेदारी में दर्ज है। राज्य सरकार ने भी वर्ष 2007 एवं 2010 में परिपत्र जारी कर ऐसी भूमि पर काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने को उचित मानते हुए यथावत रखे जाने के निर्देश दिये हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने भी अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जागीर अधिग्रहित होने पर काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये एवं विवादित भूमि काबिज काश्तकार के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधि अनुरूप है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में विवादित भूमि कृषक अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज की गई है जो न्यायोचित एवं विधि अनुरूप होने से हम इस रेफरेन्स में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना उचित समझते हैं।"

**प्रथमः**– इस प्रकरण मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नंबर 8285 वाके ग्राम करौली तहसील करौली मे रेफरेन्स खारिज कर दिया गया। अर्थात् उसकी खातेदारी को निरस्त नही किया गया है। **द्वितीयः**– माननीय मण्डल के निर्णय से यह भी स्पष्ट है कि भूमि पर अपीलांट "काबिज काश्तकार" है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे बनना पाया जाता है क्योंकि वह विवादित आराजीयात खसरा नंबर 8285 पर वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



Scanned with CamScanner

मे रिकार्डेड काबिज काश्तकार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की निगरानी संख्या 141/2000/टीए/श्रीगंगानगर के अनुसारः-

"Temporary Injunction cannot be granted against recorded khatedar"

[RRT 2013(2) page 1108]

**द्वितीयः-** अपीलांट जो की काबिज काश्तकार है, के उपयोग व उपभोग मे किसी भी प्रकार की बाधा डाली जाती है तो अपीलांट को रेस्पोडेन्ट की तुलना मे अपूर्णीय क्षति होगी।

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी करौली के मुकदमा नंबर 01/2016 बउनवान ठाकुर जी लक्ष्मण जरिये संजीव शर्मा बनाम राजेन्द्र प्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2017 में पारित निर्णय को खसरा नंबर 8285 रकबा 09 बिस्वा की हद तक अपास्त किया जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 10.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील अधिकारी,
सवाईमाधोपुर